रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932
No. 316] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2010

सा.का.नि. 481(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में अन्यथा संदर्भ का उल्लेख अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 से है;

(ख) "बोर्ड" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड से है;

(ग) "रजिस्टर" का अर्थ बोर्ड द्वारा मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर से है;

(2) अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का अधिनियम में क्रमश: उन्हें दिया गया अर्थ होगा।

3. रजिस्टर की विषय-सूची

(1) रजिस्टर को निम्नलिखित पांच भागों में बांटा जाएगा नामत:-

(क) भाग-I में उन सभी कंपनियों की सूची शामिल है जिन्हें अधिसूचित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का विपणन करने के लिए पंजीकृत किया गया है;

(ख) भाग-II में उन सभी कंपनियों की सूची शामिल है जिन्हें एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना और प्रचालन करने या प्रस्तावित एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना और प्रचालन करने के लिए पंजीकृत किया गया है;

(ग) भाग-III में उन सभी कंपनियों की सूची शामिल है जिन्हें विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसी क्षमता से अधिक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों या प्राकृतिक गैस की भण्डारण सुविधा स्थापित करने के लिए पंजीकृत किया गया है;

(घ) भाग-IV में उन सभी कंपनियों की सूची शामिल है जिन्हें सामान्य वाहक या संविदा वाहक पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है; और

(ड.) भाग-V में उन सभी कंपनियों की सूची शामिल है जिन्हें नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(2) रजिस्टर में प्रविष्टियां अनुलग्नक-I में दिए गए प्रपत्र के अनुसार की जाएंगी।

4. रजिस्टर तक पहुंच

(1) पब्लिक का कोई सदस्य अनुलग्नक-II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करते हुए विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का भुगतान करके रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है।

(2) रजिस्टर का निरीक्षण करने वाला कोई व्यक्ति इस संबंध में बोर्ड द्वारा इसके लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें मांगी गई सूचना ब्यौरा दिया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी रजिस्टर के निरीक्षण की अनुमति देगा तथा विनियम 5 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार शुल्क का भुगतान किए जाने पर रजिस्टर के संबंधित भाग का उद्धरण भी उपलब्ध कराएगा।

5. शुल्क और अन्य प्रभार लगाना

रजिस्टर के निरीक्षण के लिए तथा रजिस्टर से उद्धरण की प्रतियों के लिए शुल्क पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) विनियम, 2007 में उल्लेख किए गए अनुसार होगा।

6. सामान्य

यदि इन विनियमों के किसी प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अनुलग्नक-I

1	**कंपनी का ब्यौरा**	
क	कंपनी का नाम:	
ख	फर्म का प्रकार - पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदार फर्म/प्रोप्राइटरशिप फर्म/अन्य (कृपया उल्लेख करें):	
ग	निगमन की तारीख और व्यवसाय शुरू करने के प्रमाण-पत्र की तारीख:	
घ	पंजीकृत कार्यालय का पता:	
ड.	संपर्क ब्यौरा - नाम, पदनाम, कार्यालय पता, दूरभाष संख्या (एसटीडी संहिता सहित), ई-मेल पता:	
2	**व्यवसाय ब्यौरा**	
क	कार्यकलाप का ब्यौरा जिसके लिए कंपनी पंजीकृत/प्राधिकृत है:	
ख	शामिल भौगोलिक क्षेत्र/स्थल - शहर/जिला/राज्य/देश:	
ग	प्राधिकृत क्षमता (जहां-कहीं लागू हो)	
घ	पंजीकरण संदर्भ दस्तावेज संख्या और तारीख:	
ड.	प्राधिकरण संदर्भ दस्तावेज संख्या और तारीख:	

IndiaCode

अनुलग्नक– II

व्यक्ति/कंपनी का ब्यौरा जो रजिस्टर की प्रामाणित प्रति का निरीक्षण/प्राप्त करना चाहते हैं।		
1	कंपनी/व्यक्ति का नाम	
2	पूर्ण पता	
3	ई-मेल आईडी, दूरभाष, फैक्स	
4	पहचान प्रमाण और आवास का प्रमाण (व्यक्ति के मामले में)	
5	कंपनी का नाम जिसके बारे में निरीक्षण या विनियम की प्रमाणित प्रति अपेक्षित है।	
क)	सूचना प्राप्त करने का प्रयोजन	
ख)	डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा शुल्क का ब्यौरा	

तारीख:

स्थान:

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2009-खण्ड-I]

रतन पी. वातल, सचिव

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2010

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement.**
 (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Regulations, 2010.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

IndiaCode

2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Register" means the Petroleum and Natural Gas Register maintained by the Board whether in print or electronic form;

(2) All other words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Contents of the Register.

(1) Register shall be divided into following five parts namely:-

(a) Part I containing a list of all entities who have been registered for marketing notified petroleum, petroleum products and natural gas;

(b) Part II containing a list of all entities who have been registered for establishing and operating LNG terminals or proposing to establish and operate LNG terminals;

(c) Part III containing a list of all entities who have been registered for establishing storage facility for petroleum, petroleum products or natural gas exceeding such capacity as may be specified by regulations;

(d) Part IV containing a list of all entities who have been authorized for laying, building, operating or expanding a common carrier or contract carrier pipeline; and

(e) Part V containing a list of all entities who have been authorized for laying, building, operating or expanding a city or local natural gas distribution network.

(2) The entries in the Register shall be made as per format in Annexure-I.

4. Access to the Register.

(1) Register shall be open for inspection to any member of the public on payment of fee prescribed under sub-regulation (1) of regulation 5 and by submitting an application as per format at Annexure-II.

(2) Any person seeking inspection of the Register shall make an application for the purpose to the officer designated for the purpose by the Board detailing in the application, the information sought.

(3) The officer designated under sub-regulation (2) shall allow inspection of the Register and also make available extracts of the relevant portions of the Register on payment of such fee as prescribed under sub-regulation (2) of regulation 5.

5. Levy of fees and other charges.

Fee for inspection of the Register and for copies of extracts from the Register shall be as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007.

2179 GI/10-2

6. General

If any dispute arises with regard to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final and binding.

Annexure I

1	**Details of the Entity**	
A	Name of the Entity:	
B	Type of Firm - Public limited company / Private limited company / Partnership firm / Proprietorship firm / Others (please specify):	
C	Date of incorporation and date of certificate of commencement of business:	
D	Address of registered office:	
E	Contact details – Name, Designation, Office addresses, Telephone numbers (with STD code), E-mail address:	
2	**Business details**	
A	Details of activity for which the entity is registered/authorized:	
B	Geographical area covered/situated – Town/District/State/Country:	
C	Authorised capacity (wherever applicable)	
D	Registration reference document number and date:	
E	Authorization reference document number and date:	

IndiaCode

Annexure – II

Details of the individual/company intending to inspect/obtain certified copy of Register		
1	Name of the entity / person	
2	Complete address	
3	E-mail ID, telephone, fax	
4	Identification proof and residence proof (in case of an individual person)	
5	Name of entity relating to which inspection or certified copy of Regulation is required	
a)	Purpose of seeking the information	
b)	Details of fee deposited by Demand Draft	

IndiaCode

[F. No. S-Admn/II/8/2009-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode